परियोजना संख्या: 43464-026

भाग -1

हिमाचल प्रदेश स्वच्छ ऊर्जा ट्रांसमिशन निवेश कार्यक्रम

(एचपीसीईटीआईपी)

हिमाचल प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड

(एचपीपीटीसीएल)

कार्यकारी सारांश

एशियाई विकास बैंक (ए.डी.बी) द्वारा विधिबद्ध भाग–1 की पुनर्व्यवस्था योजना का संक्षिप्त कार्यकारी विवरण

हिमाचल प्रदेश सरकार (जी० ओ० एच० पी) द्वारा, भारत सरकार (जी० ओ० आई०) के माध्यम से एशियाई विकास बैंक (ए.डी.बी) को हिमाचल प्रदेश राज्य में हिमाचल प्रदेश क्लीन एनर्जी ट्रांसमिशन इनवेस्टमेंट प्रोग्राम (एच. पी. सी. ई. टी. आई. पी.) के अंशत निधिबद्ध करने के लिए बहुभागीय वित्तीय प्रंबध सुविधा (एम०एफ०एफ०) उपलब्ध कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। इस परियोजना के लिए एच० पी० पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरशन लिमिटिड (एच०पी०पी०टी०सी०एल०) कार्यकारी एजेंसी (ई०ए०) तथा कार्यान्वयन एजेंसी (आई० ए०) है। हिमाचल प्रदेश कलीन एनर्जी ट्रांसमिशन इनवेसमेट प्रोग्राम (एच. पी. सी. ई. टी. आई. पी.) की योजनाओं के भाग–1 के अंतर्गत 5 प्रस्तावित सब स्टेशन और 1 ट्रांसमिशन लाईन इस प्रकार हैं

i. 22/66/220 केवी जीआईएस सबस्टेशन + 220 केवी काशग-भाबा लाइन के साथ लिलो ।

ii. प्रगतिनगर (गुमा) में 220/400 केवी सबस्टेशन + 400 केवी डी / सी ट्रांसमिशन लाइन 220/400 केवी पूलिंग स्टेशन गुमा से 400 केवी झाखरी- अब्दुलापुर (पीजीसीआईएल लाइन) के साथ के साथ लिलो ।

iii. हाटकोटी से प्रगतिनगर तक 220 केवी डी / सी ट्रांसमिशन लाइन ।

iv. वांगतू में 66/220/400 केवी सबस्टेशन + 400 केवी वांगतू -अब्दुल्लापुर और 220 केवी काशांग- भाबा डी / सी लाइनों के साथ लिलो ।

v. 132/400 केवी सबस्टेशन पांडोह + 132 केवी बाजौरा- कंगू डी / सी लाइन के एक सर्किट में लिलो

vi. 132 केवी सबस्टेशन चंबी ।

निवेश कार्यक्रम के ट्रेंच -1 घटकों के लिए पुनर्वास योजना तैयार की गई है । अनुमानित प्रभावों की प्रकृति पैमाने के आधार पर निवेश कार्यक्रम के तहत ट्रेंच -1 घटक को एडीबी के सुरक्षा नीति वक्तव्य 2009 के अनुसार अनौपचारिक पुनर्वास (आई.आर) पर प्रभाव के लिए श्रेणी बी के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

2. ट्रेंच -1 उपप्रोजेक्ट किन्नौर, मंडी, कांगड़ा और शिमला जिले में स्थित हैं और इन सबप्रोजेक्ट में भूमि अधिग्रहण कम होगा । शिमला जिले में प्रस्तावित पांच उप स्टेशनों में से दो और कांगड़ा जिले के चंबी में सबस्टेशन के लिए निजी भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता है । जहां लगभग 3.56 हेक्टेयर (2.5 हेक्टेयर गुमा और 1.06 हेक्टेयर चंबी) निजी भूमि अधिग्रहित किया गया है । दोनों सबस्टेशन में भूमि अधिग्रहण के लिए चार घर (1 गुमा और 3 चंबी) प्रभावित हुए है । गुमा

(प्रगतिनगर) सबस्टेशन के प्रभावित परिवार को कुल भूमि संपत्ति का लगभग 14% खो दिया है। इसके अतिरिक्त ट्रांसमिशन लाइनों का निर्माण (220 केवी हाटकोटी-गुमा 25.824 किग्मी डबल सर्किट लाइन) और (220/400 केवी पूलिंग स्टेशन गुमा से झाखरी -अब्दुलापुर के लिलो बिंदु तक 3.076 कि.मी डबल सर्किट लाइन) के लिए छोटे पैमाने पर टॉवर नीव के लिए निजी भूमि अधिग्रहण किया गया है। कुल 95 टावर है जिनमें से 76 टावर निजी भूमि पर बनाए जाएंगे और शेष 19 टावर सरकारी भूमि पर बनाए जाएंगे। जिनमें से 73 टावर के लिए निजी भूमि अधिग्रहण किया जा चुका है। जिनमें से प्रत्येक को लगभग 225 वर्ग मीटर (15 मीटर x 15 मीटर) भूमि की आवश्यकता है। टावरों की स्थापना के लिए कुल भूमि आवश्यकता लगभग 2.14 हैक्टर है जिसमें से 1.67 हैक्टर निजी और 0.47 हैक्टर सरकारी भूमि है। टावर फुटिंग के निर्माण के लिए जमीन के छोटे हिस्सों के नुकसान से कुल 96 परिवार प्रभावित है । हालांकि कोई भौतिक विस्थापन नहीं होगा। 845 फलों के पेड़ों और 11 गैर-फलों के पेड़ सहित कुल 856 निजी पेड़ प्रभावित होने की आवश्यकता है। टावरों के चरणों के निर्माण के लिए 7 परिवार अपने कुल भूमि अधिग्रहण का 10% से अधिक खो देंगे। 5 महिला प्रमुख परिवार है और 2 गरीब व्यक्तियों से संबंधित हैं। इसके अतिरिक्त ट्रांसमिशन लाइन के निर्माण के दौरान फसल के नुकसान पर अस्थायी प्रभाव पर अनुमानित होते हैं जिसके लिए एचपीपीटीसीएल फसल के नुकसान के लिए मुआवजे मुहैया कराएगा। वर्तमान में लगभग 71.44 हैक्टर जमीन पर फसल मुआवजे दिया गया है।

3. कार्यक्रम तैयार करने के दौरान हितधारकों के साथ फरवरी माह के मध्य मई 2011 में परामर्श किए गए थे। रक्षा योजनाओं के अभिन्न अंग के रूप में, प्रभावित व्यक्तियों और स्थानीय समुदायों से ट्रेंच -1 सुरक्षा उपायों की तैयारी के दौरान परामर्श किया गया था । सभी हितधारकों को सूचित किया गया था और परियोजना के कार्यान्वयन के दौरान भी सूचना की धारा जारी है। प्रोजेक्ट प्रभावित समुदायों, हितधारकों और सरकारी अधिकारियों के साथ सार्वजनिक परामर्श प्रस्तावित ट्रांसमिशन लाइन / सबस्टेशन के आसपास 27 गांवों में किए गए थे। निजी भूमि अधिग्रहण के लिए धारा -4 अधिसूचना जारी की गई है और गुमा और चंबी सबस्टेशन के राजपत्र में प्रकाशित की गई है। इसके अतिरिक्त, 28 अप्रैल 2011 को स्थानीय समाचार पत्र में विद्युत सूचना अधिनियम, 2003 के अनुसार अधिसूचना का खुलासा किया गया था। एचपीपीटीसीएल समय-समय पर, एक सुलभ जगह पर और एक समझने योग्य भाषा (हिंदी / अंग्रेजी) में प्रभावित लोगों को जानकारी प्रदान की जाएगी । एचपीपीटीसीएल वेबसाइट पर पुनर्वास योजना का खुलासा किया जाएगा।

4. हि०प्र०पावर ट्रांसमिशन कारपोरेषन लिमिटिड द्वारा षिकायत निवारण तंत्र (जी०आर०एम०) बनाया गया है। जिसके अंर्तगत परियोजना से प्रभावित लोंगो के लिए शिकायत निवारण की उपयुक्त प्रक्रिया है। शिकायत निवारण तंत्र तत्काल प्रभावित व्यक्तियों की चिंताओं और शिकायतों को एक समझने योग्य और पारदर्षी प्रक्रिया को अमल में लाके किया जाएगा, जो कि लिंग उत्तरदायी, सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त है और किसी भी कीमत पर और प्रतिशोध के बिना प्रभावित व्यक्तियों के लिए आसानी से सुलभ है।

षिकायत निवारण समिति (जी०आर०सी०) महाप्रबंधक (परियोजना) की अध्यक्षता में है। इसमें परियोजना कार्यान्वयन इकाई के स्तर पर वरिश्ट प्रबंधक और उपप्रबंधक षमिल है। छोटे परिवाद पी०आई०यू० के स्तर पर उठाये तथा हल किए जाऐगें। जो शिकायत पी०आई०यू० स्टाफ (क्षेत्रीय) द्वारा हल नही किए जाऐगें वे पी०एम०यू० के स्तर पर शिकायत निवारण समिति (जी०आर०सी०) के समक्ष लाए जाऐगें। षिकायत निवारण समिति की बैठक हर महीने होगी और षिकायत आने पर प्रत्येक परिवाद की उपयुक्तता देखकर शिकायत मिलने के एक महीने के अंदर उसका समाधान किया जाएगा। प्रभावित लोगों का यह अधिकार रहेगा कि वे इसके साथ ही अन्य उचित मंच या न्यायालय में जा सकेंगे।

5. इस कार्यक्रम का नीतिगत गठन और वैधानिक अधिकार निम्नलिखि्त राश्ट्रीय कानूनों पर आधारित है। भू-अधिग्रहण अधिनियम 1894 (एल०ए०ए०,1984 में संषोधित) निजी भूमि के अधिग्रहण की आवष्यकता पर; राश्ट्रीय पुर्नवास एंव पुर्नव्यवस्था नीति 2007 (एन०आर०आर०पी०); और एषियन डिवेलप्मेंट बैंक का सुरक्षा नीति वक्तव्य 2009। पुर्नव्यवस्था प्रक्रिया में भी हि०प्र०पावर ट्रांसमिषन कारपोरेषन लिमिटिड की निम्नलिखि्त नीतियॉ भी मान्य है

i. पर्यावरण एंव सामाजिक सुरक्षा नीति, मई 2011(ई०एस०एस०पी०) और

ii. पुर्नव्यवस्था राहत,पुर्नवास एंव मुआवजा नीति,मई 2011 (आर०आर०आर०सी०पी०)

परिसम्पत्ति का मुआवजा विनिमय मूल्य के आधार पर प्रदान किया जाएगा। आय और आजीविका की क्षतिवाले सवाामित्वधारी तथा गैर सवाामित्वधारी, दोनों को पुर्नव्यवस्था सहायता प्रदान की जाएगी। कमजोर समूहों की पुर्नव्यवस्था और पुर्नवास के लिए विषेश उपाय किए जाऐगें। पारियोजना के अंतर्गत मुआवजे या कम से कम पुर्नवास अभिपूर्ति के भागीदार प्रभावित लोग इस प्रकार है।

i. वे प्रभावित लोग जिन्होनें कानूनी विधान की भूमि खो दी है।

ii. भवनों, पेड पौधो और अन्य भूमि से सम्बधित वस्तुओं के मालिक

iii. पर्जीकृत/अपर्जीकृत किरायेदार और फसलों, के मालिक; और

iv. व्यापार, आय तथा वेतन की हानि उठाने वाले लोग मुआवजा पाने का अधिकार उप-परियोजना के लिए तय की गई सीमांत तिथि के अनुसार सीमित होगा।

6. एचपीपीटीसीएल परियोजना के लिए कार्यकारी एजेंसी (ई ए) और कार्यान्वयन एजेंसी (आई ए) दोनों है। कॉर्पोरेट स्तर पर परियोजना प्रबंधन इकाई (पीएमयू) की अध्यक्षता प्रबंध निदेशक करते हैं जिनको उप महाप्रबंधक द्वारा विभिन्न कार्यों - प्रशासन और वित्त , परियोजनाओं की योजना और डिजाइन, खरीद और अनुबंध, पर्यावरण और सामाजिक सेल और परियोजना निर्माण में सहायता मिलेगी। परियोजना निर्माण इकाई के विभागीय स्तर पर परियोजना कार्यान्वयन इकाइयों (पी आई यू) की अध्यक्षता वरिष्ठ प्रबंधक चार स्थानों - रोहरु (शिमला) , चंबी (कांगड़ा), भावानगर (किन्नौर) और साराभाई (कुल्लू) में की जाती है। कॉर्पोरेट स्तर पर पर्यावरण और सामाजिक सेल (ई एस सी)

एचपीपीटीसीएल की सभी परियोजनाओं के सुरक्षा उपायों की नीति और कार्यान्वयन पर नज़र रखता है। पर्यावरण और सामाजिक कक्ष में शामिल पर्यावरण और पुनर्वास अधिकारी एचपीपीटीसीएल के पर्यावरण और सामाजिक सुरक्षा नीति, मई 2011 के अनुपालन में उपप्रोजेक्ट के सभी सुरक्षा उपायों में परियोजना कार्यान्वयन इकाई की सहायता करते हैं। यह पर्यावरण और सामाजिक सेल एडीबी द्वारा वित्त पोषित सभी उपप्रोजेक्ट्स के लिए पर्यावरण प्रबंधन योजना और पुनर्स्थापन योजना के कार्यान्वयन के लिए भी जिम्मेदार है। । एडीबी के सुरक्षा नीति विवरण 200 9 के अनुसार परियोजना प्रबंधन इकाई (पीएमयू) और पर्यावरण और सामाजिक सेल (ई. एस. सी) को परियोजना अनुबंधों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए एडीबी द्वारा वित्त पोषित प्रत्येक उपप्रोजेक्ट के सुरक्षा उपायों के नियमित निगरानी की आवश्यकता होती है।

7. इस सबप्रोजेक्ट के लिए पुनर्वास लागत अनुमान में पुनर्वास योजना कार्यान्वयन और निगरानी के लिए योग्य मुआवजे, पुनर्वास सहायता और समर्थन लागत शामिल है। ये समग्र परियोजना लागत का हिस्सा हैं। ट्रेंच.1 सबप्रोजेक्ट के लिए कुल भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास लागत रु 122.43 मिलियन होने का अनुमान है। सिविल वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट्स के पुरस्कार से पहले सभी भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और उप-परियोजना के लिए मुआवजा पूरा हो गया है। उप-परियोजना निर्माण-स्थान को सौंपने और सिविल कार्यों की शुरुआत से पहले सभी आवश्यक भूमि ठेकेदार को मुफ़्त में प्रदान की गई है। हालांकि परियोजना की पूरी अवधि के दौरान आवश्यकतानुसार सार्वजनिक परामर्श और निगरानी एक अंतःक्रियात्मक आधार पर जारी रहेगी।

8**.** पुनर्वास गतिविधियों की निगरानी की जिम्मेदारी परियोजना प्रबधंन इकाई (पी०एम०यू०)/ परियोजना कार्यान्वयन इकाई (पी०आई०यू०) और पर्यावरण और सामाजिक अनुभाग के माध्यम से एच०पी०पी०टी०सी०एल०की रहेगी। यह कॉर्पोरेषन अद्धवार्शिक निगरानी रिपोर्टस, ए०डी०बी० को समीक्षा के लिए प्रस्तुत करेगा। निगरानी की सीमा और दायरा परियोजना के जोखिमों और प्रभावों की प्रकृति और गंभीरता के अनुरूप होगा। ए०डी०बी० को एच०पी०पी०टी०सी०एल० से अपेक्षा रहेगी कि यह कॉर्पोरेषन ऐसी प्रक्रियांए स्थापित करके जारी रखे,जिनके माध्यम से सुरक्षा उपाय योजना के कार्यान्वयन की पड़ताल हो;दस्तावेजो और सार्वजनिक जांच-पड़ताल के परिणाम सामने आएँ; सर्वाधिक निगरानी रिपोर्टस में सुधारात्मक और निवारक जरूरी कार्यवाही सुनिष्चित हो; और इन कार्यवाहियों पर आगे की कार्यवाही सुनिष्चित हो ताकि अधिकार समाप्त धनराषि और लाभों की प्रापति की दिषा में प्रगति सुनिष्चित हो सके। पुर्नव्यवस्था कार्यान्वयन गतिविधियों की जांच-पड़ताल की प्रलेख प्रगाति, पुर्नव्यवस्था योजना से सम्बद्व समापन रिपोर्टस सहित, एच०पी०पी०टी०सी०एल० द्वारा इसके पी०एम०यू० के माध्यम से ए०डी०बी० को अद्धवार्शिक आधार पर समीक्षा के लिए प्रस्तुत की जाएगी।

तालिका 2: हकदार देयता मेट्रिक्स

छति की किस्म	ए0 पी0 की परिभाषा	हकदारी देयता	विवरण
कृषि भूमि की क्षति	स्वामित्वधारी मालिक प्रभावित व्यक्ति (ए0पी0) पांरपरिक भूमि अधिकार सहित	मुआवजा मार्किट/विनिमय मूल्य पर आधारित पुनर्व्यवस्था सहायता असुरक्षित प्रभावित लोगों अतिरिक्त सहायता	अनिवार्य भू–अधिग्रहण के मामले मे मुआवजा भू–अधिग्रहण अधिनियम के आधार पर होगा (30% मुआवजा और 12% ब्याज मिलाकर) परियोजना प्रधिकारी द्वारा प्रभावित लोगों से पारम्पारिक और स्वैच्छिक सहमति से जमीन अधिकृत करने क मामले में मुआवजा समझौते से तय बाजार मूल्य का दिया जाएगा।यादि भूमि वार्षिक पट्टा राशि अदा करने के आधाार नर अधिगृहित करनी होतो स्वामित्वधारी भू–अधिग्रहण प्राधिकारी तय किया गया वार्षिक मुआवजा परियाजना की अवधि तक प्राप्त करेगा जो 30 वर्ष है। एक बार तय किया गया मुआवजा लीज अनुबंध प्रक्रिया के दौरान संशोधित नहीं किया जाएगा। कारवाई का व्यय (दस्तावेजी स्टांपस रजिस्ट्री खर्च इत्यादि रजिस्ट्रेशन के दौरान पारियोजना प्राधिकारी द्वारी वहन किया जाएगा। यादि बचू हुद प्लाट/प्लाटस काम के नहीं है, इसलिए प्रभावित वयक्ति सीमांत किसान हो जाता है। तो पुनर्व्यवस्था सहायता,तीन महीने के न्यूनतम वेतन पर आधारित,परिवर्ती भतों के रूप में दी जाएगी। असुरक्षित प्रभावित लोगों को अतिरिक्त भते तीन महीने के न्यूनतम वेतन पर आधारित दिये जाएँगें।

	वैयक्तिक काश्तकार बटाईदार पट्टेदार	पट्टे की प्रतिपूर्ति	पट्टे की दरें परियोजना प्राधिकारी द्वारा भू–स्वामियों से विचार विमर्श के आधार पर राजस्व विभाग के सहयोग से निर्धारित की जाऍगी।
आवासीय और भूमि की क्षति	स्वामित्वधारी पांरपरिक/रिवायती भू–अधिकार वाले ए0 पी0	विनिमय मूल्य आधारित मुआवजा असुरक्षित प्रभावित लोगों को अतिरिकत सहायता	सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित विनिमय मूल्य का नकद मुआवजा सभी शुल्क,स्टांप शुल्क कर तथा अन्य व्यय जो पुनःस्थापना और पुनर्वास की प्रक्रिया में,संबद्ध कानूनों के तहत उपयुक्त हो उनका वहन ई0 ए0 द्वारा किया जाएगा। असुरक्षित प्रभावित लोंगो को अतिरिक्त भते तीन महीनें के न्यूनतम वेतन के आधार पर अदा किए जॉएगे।
वनभूमि के अधिकार की क्षति	वनभूमि के अधिकारों से प्रभावित परिवार	वैकल्पिक सुविधाओं और तकनीकी सहायता का प्रावधान	ऐसे परिवार जिन्हें,वन भूमि से पूरी होने वाली,इंधन चारे आदि की मूलभूत जरूरतों की हानि उठानी पड़ी हो, उन्हें वैकल्पिक वनभूमि में ये सुविधा प्रदान की जाएगी। समुदायों को वन विभाग द्वारा संचालित सामुदायिक सामाजिक वन योजना में शामिल किया जाएगा।

2 महिला प्रमुख परिवार,अनुसूचित जनजातिय परिवार, गरीबी रेखा से नीचे के परिवार अंपग या अशक्त व्यक्ति प्रमुख पारिवार और अत्याधिक प्रभावित परिवार

छति की किस्म	ए0 पी0 की परिभाषा	हकदारी देयता	विवरण
2 संरचनाऍ			
आवासीय और वाणिजय संरचना की क्षति	स्वामित्वधारी रिवायती भू–अधिकार के तहत संरचना वाले ए0 पी0	प्रतिस्थापना मूल्य आधारित मुआवजा हटाने हेतु सहायता	संरचना तथा अन्य सम्पति का प्रतिस्थापना मूल्य (या संरचना व अन्य सम्पति के भाग; यदि शेष बचा हुआ उपयोगी हो। संरचना प्रतिस्थापना से सम्बधित शुल्क कर तथा अन्य खर्च

			हटाने हेतु सहायता; प्रत्येक परिवार को रू 10,000/– से कम नहीं संरचना और अन्य सम्पति से बची सामग्री का अधिकार बरकार;इसके एवज में प्रतिस्थापना मूल्य से कोई कटौती नहीं की जाएगी। असुरक्षित प्रभावित लोगों (ए0पी0) को तीन महीने के न्यूनतम वेतन के आधार पर अतिरिक्त भते देय होंगे।
किरायेदारी के आवास की क्षति	किरायेदार	ए) किराये की सहायता बी) प्रस्थापना मूल्य का मुआवजा सी) हटाने की सहायता	आवासीय और वाणिजय दोंनो तरह किरायेदारी हेतु प्रचलित दर पर ग्रांट के रूप में आधिकतम तीन महीनों का किराया पूरा करने के लिए सहायता किरायेदारों द्वारा निर्मित अतिरिक्त संरचनाओं का मुआवजा भी किया जाएगा और मालिक की मुआवजा राशि से काट लिया जाएगा। हटाने की सहायता आवास के टाइप और परिवार की सम्पति के आधार पर दी जाएगी। किरायेदारों द्वारा जमा की गई कोई आग्रम राशि दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करने पर मालिक के कुल मुआवजा पैकेज में से उन्हें लौटायी जाएगी। संरचना को देने से बची हुई सामग्री और किरायेदारों द्वारा निर्मित अग्रभाग आदि का अधिकार रहेगा।

छति की किस्म	ए0 पी0 की परिभाषा	हकदारी देयता	विवरण
3 वृक्ष और फसलें			
वृक्षों की क्षति	भू–स्वामी बटाईदार पट्टेदार	मार्किट मूल्य के आधार पर बागवानी विभाग की सहायता से परिकलित मुआवजा	ए0पी0 को फल निकालने तथा पेड़ों को हटाने हेतु आग्रिम उत्पादक वर्षो हेतु फलों के औसत उत्पादन के आधार पर मर्किट मूल्य देखकर परिकलित करके मुआवजा इमारती लकड़ी वाले वृक्षों के प्रकार को देखकर मार्किट मुल्य के आधार पर मुआवजा
फसलों की क्षति	भू–स्वामी	मार्किट मूल्य के आधार पर	ए0पी0 को फसल काटने हेतु आग्रिम नोटिस खड़ी फसलों

	बटाईदार पट्टेदार	बागवानी विभाग की सहायता से परिकलित मुआवजा	के मामले में तैयार फसलों औसत उत्पादन का अघमन मार्किट मूल्य जोड़कर नकद मुआवजा।
4 आय का आजीविका			
आय का आजीविका की क्षति (व्यवसाय वेतन आय,कृषि आय,कर्मचारी)	वैघानिक स्वामित्व/किरायेदार/ पट्टेदार गैर–स्वामित्व संरचना कर्मचारी/कृषि मजदूर	सहायता	आय की क्षति के लिए तीन महीने की न्यूनतम आय दरों पर आधारित सहायता। परियोजना में नौकरी के लिए विचार जहॉ संभव हो। असुरक्षित प्रभावित लोंगो को तीन महीने के न्यूनतम वेतन के आधार पर अतिरिक्त भते देय होंगे।
5 सरकारी भूमि और सम्पति			
सरकारी सम्पति भूमि की क्षति	सम्बंधित विभाग	सरकारी नियमों के आधार पर एकमुश्त मुआवजा	विभागीय भु–स्थानांतरण
6 समुदाय और सांकृतिक स्थल			
धार्मिक संरचनाएॅ, भूमि,सामुदायिक संरचनांए ट्रस्ट आदि	प्रभावित समुदाय	संरक्षण,बचाव और प्रतिपूरक प्रस्थापन (स्कूल,सामुदायिक केंद्र,मार्किट स्वास्थ्य केंद्र,तीर्थ,अन्य धार्मिक स्थल,पूजा स्थल,दफन स्थल; भोजन,दवा और प्राकृतिक संसाधन आदिकतम)	प्रभावों का प्रलेखन और शमन। सांस्कृतिक संपदा का संरक्षण विशेष उपायों से किया जाएगा;यथा समुदाय को सलाह से पुन;स्थापन।
7 अस्थायी क्षति			
भूमि की अस्थायी क्षति और निर्माण कार्य के दौरान फसल के नुक्सान की अस्थायी क्षति	सभी ए०पी० लाइनों के निमार्ण समय भूमि तथा फसलों की अस्थायी हानि वाले कृषि परिवार,बटाईदार, किरायेदार, गैर स्वामित्व परिवार	खड़ी फसलों को कांटने हेतु नोटिस मार्किट मूल्य पर आधारित एक सीजन का मुआवजा वापसी/पुनरूद्धार	० वैधानिक स्वामित्वधारियों के लिए अधिकृत अवधि हेतु किराये का प्रावधान। ० क्षतिग्रस्त सम्पति का मुआवजा विनिमय मूल्य के आधार पर। ० भूमि का पुनरूद्धार,पहले जैसे या बेहतर दर्जे तक ० फसलों के अस्थायी नुक्सान के लिए,आर०ओ०डब्लु० के अंतर्गत,निमार्ण के बाद मुरम्मत और रख–रखाव के

			दौरान हुई क्षति हेतु नकद मुआवजा अतिरिक्त दिया जाएगा। भविष्य में ट्रांसमिशन लाइनों की मुरम्मत और रख–रखाव के लिए जरूरत पड़ने पर परियोजना प्रधिकारी,भूमि मालिकों से परामर्श करके भूमि में ये काम करवा सकते है और भूमि मालिक अपने कृषि सम्बधीं कार्यो के लिए भूमि का उपयोग जारी रख सकते हैं।
8 असुरक्षित परिवार			
असुरक्षित प्रभावित लोगों (ए०पी०) पर प्रभाव	समग्र प्रभाव	असुरक्षित प्रभावित लोग (ए०पी०)	० तीन महीने के न्यूनतम वेतन के आधार पर अतिरिक्त सहायता। ० असुरक्षित परिवारों को परियोजना निमार्ण में यथा संभव नौकरी के लिए प्राथमिकता दी जाएगी।
9 अप्रत्याशित प्रभाव			
अन्य प्रभाव अभिज्ञात नहीं	प्रभावित परिवार और व्यक्ति	मुआवजा और सहायता	अप्रत्याशित प्रभाव पुनर्व्यवस्था के सैद्धांतिक आधार की सहमति के अनुसार दर्ज और कम कर दिये जाएँगें।
10 एच0पी0पी0टी0सी0एल0 द्वारा परियोजना क्षेत्र हेतु अतिरिक्त लाभ			
केवल परियोजना के लिए उपयुक्त रू 50 करोड़ और अधिक की अतिरिक्त योजनॉए	केवल उन परियोजनाओं के लिए उपयुक्त जो 50 करोड से अधिक की लागत की हों।	विभिन्न योजनांए	निम्नलिखित अतिरिक्त योजनांए परियोजनाओं में,रू 50करोड या अधिक परियोजना लागत के साथ शुरू की जाएंगी ० मेरिट एंड स्पोर्ट स्लारशिप स्कीम ० मडिकल फंड ० ट्रेनिंग कम एवेयरनैस कैंप ० प्रोवीजन ऑफ सेल्फ एम्पलायमेंट ० एवार्ड ऑफ पेरी कांन्ट्रक्टास एंड